



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की रविवार, दिनांक 18.02.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
टीप: कार्यवृत्त संलग्न है।
(पृष्ठ 01 से 08 तक)
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	शास. मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार	M.Sc. III/IV Sem.- Home Science- Food Science & Nutrition	25	2023-24	1. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर 3. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर, शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर
निरीक्षण तिथि : 14.12.2023 <ol style="list-style-type: none">1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - पात्रता2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - 2.909 Hactare3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - 3350 paid on 5-09-20234. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - --5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं के भवन में संचालित है।6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - 25 कमरे7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - 3 (पात्रता)8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - पात्रता9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - अपर्याप्त/पद रिक्त है। परांकन किया जाए। नियमित प्राध्यापकों की आवश्यकता है।10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - पात्रता 24911. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - वर्तमान में अनुपलब्ध (स्नातकोत्तर के अनुरूप)12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? - --13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें - --14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके -<ol style="list-style-type: none">i. PG reference books and equipmentii. सभी प्रश्नपत्रों के अनुसार (अपर्याप्त) उपलब्ध कराने की अनुशंसा की जाती है।					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24	1. डॉ. एम.के. देब, रसायन अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. कमलेश कुमार श्रीवास, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. तोपलाल वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर
		B.A.-I- Geography- Add. Subject	60		
निरीक्षण तिथि : 13.02.2024 <ol style="list-style-type: none"> समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – शासकीय महाविद्यालय समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 10 + 10 एकड़ इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – लागू नहीं शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – -- महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – उपलब्ध है यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – 1 लैब उपलब्ध है। 1 लैब की स्थापना की जानी चाहिए। प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – और अधिक उपकरणों के क्रय करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – कुल 03 पद (रसायन शास्त्र) 01 पद (भूगोल) के विरुद्ध रसायन शास. में 02 तथा भूगोल में 00 (निरंक) नियुक्त ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – * 1 स्वीकृत पद में कार्यरत है। * पुस्तकों की सूची संलग्न और पुस्तकें क्रय किया जाना चाहिए। महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – पृ. क्रमांक 3 में उल्लेखित है। यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – लागू नहीं अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – --- कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – Chemistry <ol style="list-style-type: none"> और अधिक संख्या में पुस्तक/उपकरण खरीदा जाना चाहिए। P.G. Lab अलग से होना चाहिए। सेट-अप में वृद्धि होना चाहिए। Geography <ol style="list-style-type: none"> Lab: establish होना चाहिए। Admissioin उपरांत शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए। 					



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii.	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष —आ.पा.— हिन्दी, अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र	90	2023-24	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. श्रीमती मधु श्रीवास्तव, शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर
		बी.एस—सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) आ.पा.—हिंदी, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	60		
		बी.एस—सी. (कम्प्यूटर साइंस) प्रथम वर्ष आ.पा.—हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कम्प्यूटर भौतिकशास्त्र	60		
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष— बी.काम. कम्प्यूटर	60		

निरीक्षण तिथि : 31.01.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता — शासकीय
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि — स्वयं का भवन, पुराना कॉलेज भवन, महाप्रभु वल्लभाचार्य शास. महा. महासमुंद
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि — शासकीय
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि — शासकीय
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं — नहीं है।
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता — कक्षाओं की संख्या अपर्याप्त है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता — अपर्याप्त है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता — अपर्याप्त है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता — आंशिक रूप से पर्याप्त है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता — पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकों का क्रय किया जाना चाहिए।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ — उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ? — लागू नहीं

13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें — —
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके — महाविद्यालय में कक्षाओं की संख्या, शिक्षकों की संख्या, उपकरणों की संख्या एवं पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	B.Sc.-II - Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24	1. डॉ. के.के. घोष, रसायन अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-II - Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45		2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.-II - (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90		3. डॉ. एन.के. चक्रधारी, भौतिकी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Com. -II - All Compulsory Subject	90		4. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					5. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर

निरीक्षण तिथि : 27.01.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता — —
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि — —
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि — —
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि — —
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं — स्वयं का भवन है। परंतु सभी कक्षाएं शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा में संचालित होता है।
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता — उपलब्ध है। 18 Class Room/4 Labs, दो छात्रावास है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता — प्रयोगशालाएँ उपलब्ध है। वर्तमान में सभी प्रायोगिक कार्य शास. महा. पिथौरा में हो रहा है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता — शास. महा. पिथौरा के प्रयोगशाला उपकरण प्रयोग किया जा रहा है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता — B.A.-05, B.Sc.-05, B.Com.-02 केवल 12 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। नियमित शिक्षकों की आवश्यकता है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता — ग्रंथपाल नहीं है। B.A.-I, B.Sc.-I, B.Com.-Ist yr. पुस्तक है। है। B.A.-II, B.Sc.-II, B.Com.-II yr. की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है।

<p>11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – महाविद्यालय का सर्वसुविधायुक्त छात्रावास के साथ वर्तमान में शास. महा. भवन उपलब्ध है। पिथौरा महाविद्यालयमें सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।</p> <p>12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – पूर्व में किया गया निरीक्षण Report (ब) संलग्न है। अधिकांश सुझावों, कमियाँ दूर नहीं किया गया। अतिथि शिक्षक कार्यरत है।</p> <p>13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें –]</p> <p>14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय को मूल भवन से ही संचालित कियाजाय। 2. सभी विषयों (B.A., B.Sc., B.Com.) नियमित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति किया जाय। 3. Syllabus के अनुसार है। B.A., B.Sc., B.Com. के पुस्तकों क्रय करना है। 4. प्रयोगशाला हेतु उपकरण क्रय करना अत्यन्त आवश्यक है। 5. प्रयोगशाला तकनीशियन की व्यवस्था किया जाय। 6. फर्निचर, प्रयोगशाला Chemicals आवश्यक है।
--

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
V.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	बी.एस-सी. (सी.एस.) (नवीन विषय)	40	2023-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, भाषा विज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद कुमार पटले, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. राधा बाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर
		बी.एस-सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	40		
		एम.एस-सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	30		
		एम.ए. हिंदी (नवीन विषय)	30		
		एम.ए. राजनीति विज्ञान (नवीन विषय)	30		

निरीक्षण तिथि : 06.02.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – संलग्न
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – संलग्न
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – संलग्न
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – —
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं का भवन है।
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – संलग्न
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – अपर्याप्त है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – अपर्याप्त है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत सभी विषयों शिक्षकों कि नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।

<p>10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – संलग्न</p> <p>11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – शोध केन्द्र (वाणिज्य)</p> <p>12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – N.A.</p> <p>13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – —</p> <p>14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए निम्न आवश्यक है:—</p> <ol style="list-style-type: none"> विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत हिंदी विषय-02, राजनीति शास्त्र-02, कम्प्यूटर विषय-04 (Four) शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। 30(तीस) नवीनतम Configuration के कम्प्यूटर क्रय किया जाना आवश्यक है। नवीन वातानुकूलित 30 कम्प्यूटर के प्रयोगशाला बनाया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय किया जाना आवश्यक है। छात्र अनुपात में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है।
--

04. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पूरक विषय सूची बिंदु क्रमांक 04 की अनुशंसानुसार Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन पर विचार करना। (पृष्ठ 09 से 11 तक)

टीप : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पूरक विषय सूची बिंदु क्रमांक 04 में Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन के साथ प्रारूप की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 में किया गया था। गठित समिति के द्वारा Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन उपरांत विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

05. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर के समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को सत्र 2018-19 से 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना। (पृष्ठ 12 से 16 तक)

टीप : दानदाता श्री कुमारचंद गजपाल एवं श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल, ग्राम-सिकोसा, तह. -गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) द्वारा 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2018-19 से समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No. 4526, R.No. 58, Dated- 16-02-2024 के द्वारा रुपए 1,10,090/- (रुपए एक लाख दस हजार नब्बे मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा एवं स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

4

06. **M.Sc. Renewable Energy Technology** की Syllabus वर्ष 2024–25 के लिए तैयार पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रानिकी अध्ययन मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विचार करना।
टीप: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 के निर्णयानुसार M.Sc. Renewable Energy Technology की Syllabus वर्ष 2024–25 के लिए तैयार कर लिया गया है। चूँकि उपरोक्त विषय की Board of Studies का गठन नहीं किया गया है। अतः विज्ञान संकाय के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी अध्ययन मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
07. विनय चौधरी, शोध छात्र भूगोल द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा किए जाने के पूर्व विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) के समक्ष Pre-Presentation के दौरान DRC के द्वारा दिए गए सुझाव को समाहित करने से शोध निर्देशक द्वारा मान्य नहीं किए जाने के संबंध में विचार करना।
टीप: अध्यादेश-45 की कंडिका 13 का प्रावधान निम्नानुसार है :-
 (a) Prior to submission of the thesis, the candidate shall make a Pre-Ph.D. Presentation before the DRC that may be open to all faculty members and research students, for getting feedback and comments, which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.
 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
08. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2023 में लिए गए निर्णय की अनुशंसा करना।
टीप: तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के अनुशंसानुसार, गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2023 में लिए गए निर्णय –
 “(1) विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-184 इंटीग्रेटेड एम.एस-सी. प्रोग्राम ऑफ सी. बी.एस. को सरल क्रमांक-1 में अंकित Physics, Chemistry, Mathematics and Biology के स्थान पर Physics, Chemistry, Mathematics Botany and Zoology समाहित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
 (2) अध्यादेश क्रमांक-184 के सरल क्रमांक-2 की कंडिका (iv) Biology को विलोपित कर उसके स्थान पर (iv) Botany (v) Zoology को स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।”
 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
09. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।
 (पृष्ठ क्रमांक 17–18)
टीप: शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।
10. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार निम्नानुसार नवीन अध्यादेश की अनुशंसा करना –
 (1) **Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,**
 (2) **Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course** एवं
 (3) **Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course**
 (पृष्ठ क्रमांक 19–32)
टीप: अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त एवं अध्यादेश की प्रति संलग्न है।



11. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023 की अनुशंसा करना।
(पृष्ठ क्रमांक 33-37)
टीप: उपसचिव, राजभवन के पत्र क्रमांक राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 4160/1407/सम./23, दिनांक 16.08.2023 एवं अध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन शाला के पत्र क्रमांक 375/इले.अ.शाला/24, दिनांक 07.02.2024 के साथ संलग्न प्रपत्र-दो को अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 में अध्यादेश क्रमांक 178 एम. टेक. का अनुमोदन किया गया है।

12. B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित है -

Statute/Ordinance	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Statute No.-10- Board of Studies	Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science	
Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science	कंडिका 6(2) में निम्नलिखित विषय समूह सम्मिलित किया जाना है - <ul style="list-style-type: none"> • Forensic Science, Physics & Chemistry. • Forensic Science, Chemistry & Botany. • Forensic Science, Chemistry & Zoology. • Forensic Science, Chemistry & Anthropology. • Forensic Science, Botany & Anthropology. • Forensic Science, Zoology & Anthropology. • Forensic Science, Chemistry & Biochemistry. • Forensic Science, Chemistry & Microbiology. • Forensic Science, Chemistry & Biotechnology. • Forensic Science, Chemistry & Mathematics. • Forensic Science, Chemistry & Geology. • Forensic Science, Chemistry & Computer Science 	B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ किया जाना है।
Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System	कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाना है - j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush.	

13. प्रबंध संस्थान में प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम B.Com., M.Com. एवं B.B.A. प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

टीप: प्रबंध संस्थान में आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 से निम्नांकित पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है :-

1. B.Com.
2. M.Com.
3. B.B.A.

उक्त तीनों पाठ्यक्रम स्ववित्तीय मद में चलाया जाना है। अतः B.Com., M.Com. एवं B.B.A. प्रारंभ करने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



14. प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।
(पृष्ठ क्रमांक 38-39)

टीप: प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 को आयोजित बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया है कि :-

1. छात्रों के ज्ञापन एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के B.B.A. पाठ्यक्रम का अध्यादेश क्रमांक-91 की बिन्दु क्रमांक-14 पर विचार किया गया एवं अनुशंसा की गई कि छात्र/छात्राएँ 4th Sem. ATKT की परीक्षा 6th Sem. के साथ ही देता है और 6th Sem. का परीक्षा आवेदन ना भर पाने की स्थिति में छात्र/छात्रा का 01 वर्ष खराब हो जाता है।
अतः छात्र/छात्रा को 4th Sem. ATKT की परीक्षा के साथ B.B.A 6th Sem.. की परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए और 6th Sem.. का परीक्षा परिणाम तभी घोषित किया जाए जब वह 4th Sem. ATKT का परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।
2. मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रारंभ किया जाने हेतु पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

15. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
2	राजीव गांधी शास. कालेज, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
3	शास. नवीन महाविद्यालय, आमदी, जिला-धमतरी
4	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार (सत्र 2019-20, 2020-21, 2022-23)
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	कृती स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर

16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

Signature
17/2/24
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

1

क्रमांक : 2462/अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक 29/01/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 29.01.2024 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	-	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	-	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	-	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	-	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	-	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त के पूरक विषय सूची क्र. 2 के निर्णय में संशोधन करते हुए एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2 Years) का अनुशंसा करते हुए शेष कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शास. महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद	M.A. English	30	2023-24
		M.Sc. Zoology	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तामासिवनी, जिला-रायपुर	B.A.-I- (F.C. Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.Sc.-I- Maths Group (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	30	
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii	शासकीय महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी	B.Sc.-III-Bio Group -(FC- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-III- (FC- Hindi, English), Political Science, Economics, Sociology	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-II-Bio Group -(FC- Hindi, English), Geology, Chemistry Zoology,	30	2023-24
		B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	50	
		B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Geology, Maths, Physics	30	
		B.Com.-II	50	
		B.Com.-II- Computer Application	50	
		B.C.A.-II-	50	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

4. शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर में संचालित बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी., पी.जी.डी.सी.ए. एवं एम.एस-सी. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर में संचालित पाठ्य बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी. (बायो एवं गणित), पी.जी.डी.सी.ए. एवं एम.एस-सी. की पूर्व वर्षों की सीट वृद्धि हेतु वर्तमान सत्र में आवेदन किया गया है। यह त्रुटि भविष्य में पुनः न करने के शर्त पर (1) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-27/219/38-1 अटल नगर, दिनांक 08.08.2019 (2) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-88/2021/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.09.2021 (3) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-88/2021/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.08.2021 (4) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर का आदेश क्र. एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19.09.2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान किया गया है :-

क्र.	सत्र	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	2019-20	बी.कॉम.	50	30	80
2.	2021-22	बी.कॉम.	80	40	120
		बी.ए.	140	50	190
		बी.एस-सी. बायो	80	40	120
		बी.एस-सी. गणित	80	20	100
3.	2021-22	पी.जी.डी.सी.ए.	40	10	50
4.	2022-23	पी.जी.डी.सी.ए.	50	10	60
		एम.एस-सी. वनस्पति शास्त्र	15	5	20

5. Ideathon के आयोजन के लिए नवीन विनियम निर्माण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विनियम पर विचार करना।

निर्णय: Ideathon के आयोजन के लिए प्रस्तावित नवीन विनियम क्रमांक 209 की अनुशंसा की गई।

6. पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1/10, राजीव नगर, पो.आ.-शंकर नगर, रायपुर में B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years (30 Seats) सत्र 2023-24, 2024-25, 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1/10, राजीव नगर, पो.आ.-शंकर नगर, रायपुर में B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years (30 Seats) सत्र 2023-24, 2024-25, 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता के प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं सम्बद्धता के संबंध में समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

7. शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के आवेदन पत्र क्रमांक 793/कार्या./24 रायपुर, दिनांक 08.01.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 17-15/2022/38-1, नवा रायपुर, दिनांक 01.12.2022 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. 3582/517/आउशि/सम./2023 दिनांक 10.01.2023 के परिपालन में महाविद्यालय का नाम निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई :-

पूर्व संचालित नाम	परिवर्तित नाम
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर

8. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2023 नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के द्वारा जारी किए गये पत्र क्रमांक D.O.No.F.1.13./2022(CPP-II) dated 5th December 2023/14 अग्रहायण, 1945 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson(s)) गठन उपरांत नवीन विनियम STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES AND OMBUDSPERSON की अनुशंसा करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson(s)) गठन उपरांत नवीन विनियम क्रमांक-210 STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES AND OMBUDSPERSON की अनुशंसा किया गया।

9. M.Phil. के उपाधि तैयार करने हेतु उपाधि प्रोफार्मा Psychiatric Social Work (मनोरोग सामाजिक कार्य) की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णय: M.Phil. के उपाधि तैयार करने हेतु उपाधि प्रोफार्मा Psychiatric Social Work (मनोरोग सामाजिक कार्य) में आवश्यक संशोधन के साथ प्रारूप की अनुशंसा की गई।

10. श्रीमती रात्रि लहरी, शोध छात्रा, वाणिज्य द्वारा शोध प्रबंध जमा करने हेतु 20 दिन विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय: श्रीमती रात्रि लहरी, शोध छात्रा, वाणिज्य द्वारा शोध प्रबंध जमा करने की अनुशंसा की गई।

11. प्रवीण कुमार सोनी, शोध छात्र, क्षेत्रीय अध्ययन का पी-एच.डी. शोध कार्य की समयावधि में वृद्धि/पुनर्पंजीयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

12. दाऊ कल्याण सिंह सोनवानौ महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी में 'बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र) 60 सीट वृद्धि' के स्थान पर 'बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र) अतिरिक्त विषय 60 सीट' किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

13. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा., बसना जिला-महासमुंद
2	महर्षि वेद व्यास शास. महा., भखारा, जिला-धमतरी
3	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. कालीबाड़ी चौक, रायपुर
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला-महासमुंद
5	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महावि. अभनपुर
6	शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा, महाविद्यालय, जामगांव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) 493992
2	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, अभनपुर, रायपुर
3	काम्पटेक महावि. सोरिद नगर, धमतरी

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5

पूरक विषयसूची

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर-28, नवा रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-III- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology.	90	2023-24
		B.Sc.-III- Bio-Group-(F.C. Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	
		B.Sc.-III- Maths-Group-(F.C. Hindi, English), Maths, Chemistry, Physics	45	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

02. विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर में संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. एवं एम.कॉम. स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 के निर्णय के परिपालन में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय की स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र
i.	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	बी.बी.ए.	2023-24
		बी.सी.ए.	
		पी.जी.डी.सी.ए.	
		बी.काम.	
		एम.काम.	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर स्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

03. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, माना, रायपुर के स्थान परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) का Shifting Order पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1851/B.ED./392nd/Chhattisgarh/2023/223997 दिनांक 28.08.2023 के संबंध में विचार करना।
निर्णय: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने अपने पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1851/B.ED./392nd/Chhattisgarh/2023/223997 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा स्थान परिवर्तन पश्चात् नवीन पता निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

महाविद्यालय का पुराना पता	महाविद्यालय का परिवर्तन पश्चात् नवीन पता
SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION PLOT NO. 581/2 VILL-PACHEDA, POST-KURRU, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR, CHHATTISGARH	SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION, SURVEY NO. 123/1, 132/4, POST-MANA, NEAR SHADANI DARBAR, NEW DHAMTARI ROAD, RAIPUR, CHHATTISGARH

04. Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) पर विचार करना।

6

निर्णय: Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन के साथ प्रारूप की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय


01. संकायाध्यक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय के द्वारा प्रस्तुत Bringing UG courses in Managemnt & Computer Applications under AICTE Regulations पर विचार करना।


निर्णय: यू.जी.सी. नई दिल्ली के पत्र क्र. D.O. No. 2-79/2023 (CPP-II) 8 January, 2024/18 पौष 1945 के संदर्भ में सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया। साथ ही सभी महाविद्यालयों को BBA/BCA/BMS कोर्स हेतु AICTE से मान्यता हेतु दिनांक 26.02.2024 तक Online आवेदन के लिए सूचित किया जाना है। मान्यता न लेने पर आगामी सत्र में छात्रों का प्रवेश लेने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

02. छात्रहित को ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर भाग-1 के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों/अंक योजना आदि में परिलक्षित विभिन्न विसंगतियों के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विसंगतियों के विभिन्न बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार विधिक अभिमत भी प्राप्त किए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 2463 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29 / 01 / 2024

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

9

PhD Thesis Evaluation Report

Title of the Thesis :

Name of the Candidate :

Subject & Faculty :

Name of the Examiner :

Affiliation/Institution of Examiner :

Contact No. of Examiner :

RECOMMENDATION

The examiner is requested to make a specific recommendation about the thesis by placing a tick [✓] against any **one** of the following:

- (A) I. I recommend the acceptance of the thesis in its present form
- OR
- II. I recommend the acceptance of the thesis subject to the condition that the candidate:
- (a) furnishes satisfactory clarifications to my queries (listed separately in my detailed report) during the oral examination
- AND / OR
- (b) incorporates the minor modifications/revision suggested in my detailed report, but the corrected thesis need not be referred to me again
- OR
- III. The thesis requires major modifications/revision as suggested in my report. After modification the thesis may be referred to me for further assessment
- OR
- IV. I do not recommend the acceptance of the thesis for the reasons detailed in my report.

Note: Strike off which is not applicable. **Only one option** may be exercised from the above-mentioned options.

Date:

Signature of the Examiner

[Handwritten Signature]
25/11/24

[Handwritten Signature]
29/01/2024

[Handwritten Signature]
29/01/2024



Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

10

(B) Please evaluate the Ph.D. thesis on a scale of 1 to 10 for each of the following criteria:

Rating Scale: [1-3: Poor 4-6: Fair 7-8: Good 9-10: Excellent]

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Originality and Contribution to Knowledge | <input type="text"/> |
| 2. Literature Review | <input type="text"/> |
| 3. Methodology and Research Design | <input type="text"/> |
| 4. Presentation and Clarity of Expression | <input type="text"/> |
| 5. References and Citations | <input type="text"/> |
| 6. Overall Assessment | <input type="text"/> |

(C) DETAILED EVALUATION REPORT

(Please provide detailed comments and chapter wise feedback on various aspects of the thesis.
Attach separate sheet, if required)

Date:

Signature of Examiner

[Handwritten Signature]

Page 2 of 3

[Handwritten Signature]
29/01/2024

[Handwritten Signature]
29/01/2024

(11)

(D) Please indicate the questions you would like the candidate to answer during the viva-voce examination. Detach the sheet if you feel that no questions are to be asked from the candidate.

Date:

Signature of Examiner

[Handwritten signature]

Page 3 of 3

Minad
29.01.2024

Sheet
29/01/2024

प्रति,

कुलपति एवं अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.

विषय:- स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु अतिरिक्त राशि जमा करने की अनुमति बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि कृपया पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शासकीय दू.ब. कन्या महाविद्यालय, रायपुर से एम.ए. परीक्षा समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण पदक सत्र 2019, 2020, 2021, 2022 एवं 2023 से मान्य करते हुए स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु अतिरिक्त राशि जमा करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,


दिनांक:-


भवदीय




नाम- श्री कुमारचंद गजपाल

श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल







13

General Fund

Pt. Ravishankar Shukla University RAIPUR

Book No. 4526

R.No. 580

Received From Shri / Smt. / Ku. Dr. Tejendra Singh

(In Figure) 110090/-

By SBI 1134667

ON ACCOUNT OF

1. Registration Fee/ Enrolment Fee 13/2/24
2. Late Fee/ Surcharge
3. Fee for Registration of Graduates/ Ph.D.
4. Fee for Duplicate Mark Sheet
5. Fee for Degree Certificate
6. Fee for Convocation
7. Chhatra Sabha Sangh Fee
8. Refund of Advance
9. Xerox Copy Charges
10. Immigration/ Migration/ Provisional Certificate Fee
11. रज. शुभाना कक्षा रीय शुभाना
12. रज. शुभाना कक्षा रीय शुभाना
13. रज. शुभाना कक्षा रीय शुभाना

Rs.	P
110090	
Total Rs. 110090	

(In words) Rs. One Lakh, Ten thousand
NINETY only

Dated 16.2.24

Counter Clerk / Cashier

प्रति,

कुलपति एवं अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषय :- स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु राशि जमा करने अनुमति बाबत ।
महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि कृपया पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की निम्नलिखित परीक्षा में प्रथम प्रयास में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 से मान्य करते हुए स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु राशि जमा करने अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

कक्षा - एम. ए.

विषय - अंग्रेजी / समाजशास्त्र

दानदाता का नाम - श्री कुमारचन्द्र गजपाल स्व
श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल

स्थायी पता - ग्राम - सिकोरा
तह - गुण्डरदेही -
जिला - बालोढ़ (छ.ग.)
491222
mob. - 9826197413

स्वर्ण पदक का नाम - स्व. सुशांता की दूराम गजपाल स्मृति स्वर्णपदक

भवदीय

दिनांक

13/02/24

नाम - कुमारचंद्र गजपाल
कुलेश्वरी गजपाल
हस्ताक्षर -

-----Gold Medal

- 1. Name of Gold Medal donor श्री कुमार्चंद राजपाल एवं
श्रीमती कुलेश्वरी राजपाल
- 2. Object for Constituting the Gold Medal कन्या प्रतिभा प्रोत्साहन
- 3. Name inscribe in the Gold Medal स्व. सुशान्ता कोदूराम राजपाल स्मृति
स्वर्ण पदक
- 4. Eligibility for the award of the Medal शा. द्र. व. कन्या महा. रायपुर के
समाजशास्त्र तथा अंग्रेजी विषय में
से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली
छात्रा को प्रदान किया जाना है।
- 5. Amount deposited by the donor ₹. 1,00,000 / -
R. No. & Date
- 6. Year from which award is to be given

Raipur,
Dated

कुमार्चंद राजपाल
कुलेश्वरी राजपाल
Signature of Donner



16

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), ई-मेल: academicprsu2@gmail.com

Regulation No.
(E.C. Under)

LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL

स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति गोल्ड मेडल

Donor	-	Shri Kumarchand Gajpal & Smt Kuleshwari Gajpal Vill. – Sikosa, Tahsil – Gunderdehi, Distt.- Balod (C.G.) Mob. No. –
Value of Endowment	-	Rs. 1,00,000=00 + 10,090/- = 1,10,090/- (Rs. One Lakh Ten thousand ninety Only) Book No. 4526 R.No. 58 Dated 16-02-2024
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called “LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL GOLD MEDAL” and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing form endowment every year shall be utilized for the awarded of Gold Medal at the annual convocation of the University to the students of who secures highest marks of *M.A. Sociology OR M.A. English* Examination in first attempt from the Govt. D.B. Girls P.G. College, Raipur.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective for examination

शिक्षा अधिकायक मण्डल की सुझाव, दिनांक 15/12/2024 को बहसक 10:00 बजे संचालित, अधिकायक शिक्षा संचालक से आयोजित बैठक का कार्यवाही

सूची

1. डॉ. रिया तिवारी

[Signature]

2. डॉ. मरमा जोहरे

[Signature]

3. कौमोती साहरेका साहू

[Signature]

4. डॉ. सोमा अग्रवाल

[Signature]
15/12/2024

5. डॉ. निधि कुकला

Hide
15/12/24

6. डॉ. सी.डी. अग्रवाल (विशेष आमंत्रित सदस्य)

7. प्राचार्य/समस्त डेटर्स. (विशेष आमंत्रित सदस्य)

[Signature]
15/12/2024

बैठक में निम्न विहित नियम लिए गए:

1. M.Ed. Spl. ED. (IED) एवं Post Graduate Diploma in Early Intervention (PGDEI) के अनुमोदित Session 2024-25 onwards का हलकों की दरताअरित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

2. B.Sc. B.Ed./B.A/B.Ed./B.Com/B.Ed. के अनुमोदित एवं दरताअरित अध्यादेश की प्रति संलग्न है।

⑤ प्राचार्य, आरासकीय विश्वविद्यालय सहायक-रायपुर उमरगाँव
 विद्यालय (बि. एड.) पाणवतपुर/उदुवडा-२५/१९९९, दिनांक
 १५-०२-२४ पर आगामी वीहट में विचार दिए
 जाने की कालुदास की भागी।

कृपया डॉ. अशोक कुमार शर्मा परिसर वीहट
 सम्पन्न करें।

[Signature]
 15/2/24

[Signature]
 15/2/24

[Signature]
 15/02/24

[Signature]
 15/2/24

[Signature]
 15/2/2024

[Signature]
 15/2/2024

अ संतोषी / परिशिष्ट प्रतीक्षण सभामे ही उपचार
दिनांक 16-2-2024 को प्रहसन 12:30 बजे
संघालक महाविद्यालयीय परिषद के डबल में
आयोजित बैठक का प्रस्ताव :-

उपस्थिति :-

- ① डॉ. सनम लोचानकर Munad
16.02.2024
- ② डॉ. डॉ. स्व. मधुर Bh
16/2/24
- ③ डॉ. स्व. जे. डहरनाथ
- ④ डॉ. सी.डी. डगाशे Jule
16/2/24

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा :-

① वृत्तिका, BSC BEd एवं B.Com BEd के लिए
आवकन मॉडल द्वारा दिनांक 15-2-2024 को
अनुमोदित प्रश्नपत्रों पर अने चारोंपक्षों में विचार-विमर्श
गया उल्लेखित प्रश्नपत्रों पर अनुमोदित प्रश्न
किया गया।

② प्री-बैच के लोभा को सहायता के माध्यम से
सहकारियों, विविधता, प्रोक्टोरेशन एंड डेवेलपमेंट के लोभा
के अन्तर्गत सहायता के माध्यम से प्रोक्टोरेशन के लोभा
सहायता के माध्यम से प्रोक्टोरेशन के लोभा
सहायता के माध्यम से प्रोक्टोरेशन के लोभा
के अन्तर्गत सहायता के माध्यम से प्रोक्टोरेशन के लोभा
के अन्तर्गत सहायता के माध्यम से प्रोक्टोरेशन के लोभा

Page No.	
Date	

कुल 8 कर्मचारियों के अनुक्रम विमर्श कर प्रदत्त किया जाए।

(3) क. 825 के कर्मचारी को आगामी वी.ए. में प्रदत्त किया जाएगा।

(4) उपस्थित, राजधानी, रायपुर के पत्रांक 1120/5390/2023/ रास/इ-1, दिनांक 28-7-2023 और संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 1160/1407/सं/23 दिनांक 16-8-2023 एवं गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 377/2023 दिनांक 7/9/2023 के साथ संलग्न प्रपत्र - को को आगामी काजीवाही हेतु बांधु संस्था को पत्रांक 1/संलग्न कर्मचारी को प्रदत्त करने का कार्य।

(5) कर्मचारी सेवानिवृत्ति के प्रदत्तित कर्मचारी को अनुक्रम विमर्श कर आगामी वी.ए. में प्रदत्त किया जाए।

Miad

16.02.2024

Rohit

16/2/24

~~Signature~~

Signature

का

के

न

प


न

ORDINANCE NO. -
For
Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.)
(B.A. B.Ed. Course)

I. PREAMBLE

1. The four year integrated programme aims at integrating general studies comprising humanities also known as '**Bachelor of Arts and Bachelor of Education**' (B.A. B.Ed.), and professional studies comprising foundation of education, pedagogy of school subjects, and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice, and coherence and integration among the components of the programme, representing a wide knowledge base of a secondary school teacher. The programme aims at preparing teachers for Upper Primary and Secondary stage of education.
2. The programme contents related to History/Geography/Political Science/Economics offered in B.A. B.Ed. is equivalent to that of B.A. of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. The programme contents related to education components in B.A. B.Ed. is equivalent to B.Ed. The Course contents of the professional education component are equivalent to that of B.Ed. of Pt. Ravishankar Shukla University and are in accordance with the norms and regulations for the B.A. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).
3. This degree B.A. B.Ed. is equivalent to B.A. and B.Ed. degrees of the Pt. Ravishankar Shukla University. Students who pass this programme are considered eligible to pursue Masters Degree.

II. ELIGIBILITY AND EQUIVALENCE FOR ADMISSION FOR B.A. B.Ed. COURSE.



 15/2/24
 15/2/24
 15/2/24
 15/2/24
 15/2/24
 15/02/24
 15/2/24

1. Candidates seeking admission to the B.A. B.Ed. program should have passed Senior Secondary/+2 examination with 50% marks in the aggregate.
2. The reservation and relaxation in the marks for SC/ST/OBC/PWD and other category shall be as per the rules of the state government/central government policies.
3. Norms and standards of four year integrated program leading to B.A. B.Ed. Degree shall be according to National Council for Teacher Education (NCTE) and ITEP guidelines and regulations.
4. Candidate will be eligible for admission to Arts stream if candidate has qualified qualifying examination with History, Geography, Political Science, Economics, and English/Hindi Literature.
5. Out of the total number of seats available for each program, the reservation will be made as per the State Government/central government rule in force from time to time.

III. ADMISSION PROCEDURE

1. Admission will be through entrance examination conducted by competent agency.
2. At the time of admission in the programme, the student will need to indicate their selection of the subjects to be pursued for the discipline options and the accompanying pedagogy specializations for which they are applying, and those may be assigned on the basis of order of merit and availability of the seats.

IV. EXAMINATION PATTERN

1. Course Duration and attendance

- The B.A. B.Ed. Program shall be of four academic years or eight semester including school based experience and internship in teaching. Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the program within a maximum period of six year from the date of admission to the program.

[Handwritten signatures and dates]
13/02/24
15/2/24
15/2/24
15/02/24
16/2/24

- In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty five) working days, excluding the period of admission but including the period of examinations.
- The working duration/period shall be of 40 hours per week.
- The minimum attendance of students-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for field based experience or school internship or teaching practice separately.

2. Change of Stream and Institutions.

Once chosen, change of stream and change in institution will not be permitted under any Circumstances during the program.

3. Maximum and Minimum Marks

- Candidate must obtained minimum 40% marks in each theory paper.
- Candidate must obtained minimum 50% marks in each practical (Applied only for geography subject).
- Candidate must obtained 40% marks in theory and sessional.
- Candidate must obtained at least 50% marks in each sessional.
- If candidate failed in sessional marks he/she has to appear in internal examination again.

4. Promotion to next semester

- If a Candidate failed in any subject not more than two subjects will treated as ATKT.
- Candidate will be allowed to appear in ATKT examination 1+2 (one main and two ATKT exams).
- Nobody will escape from ATKT. It is mandatory to clear ATKT examination.
- Students who have been promoted to next semester shall avail the chance of clearing the backlog papers only in the next ATKT examination.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15/12/24

[Handwritten signature]
15/02/24

[Handwritten signature]
15/1/24

- A candidate must clear all the backlog papers (ATKT) before the commencement of 8th semester. If a candidate failed to clear all the ATKT papers will not be promoted to 8th semester.

5. Award of Division

1. Successful candidates will be awarded division on the basis of the aggregate marks of all the Core Courses, Pedagogy Courses and Courses on Developing Teacher Sensibilities as per the following
 - i. Division 60% or more
 - ii. Second Division 45% or more (but less than 60%)
 - iii. Third Division 36% or more (but less than 45%)

(NOTE: - Grade pattern will be applicable as suggested by NCTE.)

2. Changes in Statutes/ Ordinances/ Rules/ Regulations/ Syllabus and books may from time to time be made by amendment or remaking and a candidate shall, except in so far as the University determines otherwise, comply with any change that applies to semester she/he has not completed at the time of change.

[Handwritten signatures and dates]

[Signature]
[Signature] 15/12/24
[Signature] 15/12/24
[Signature] 15/12/24
[Signature] 15/12/24

25

ORDINANCE NO. -
For
Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.)
(B.Sc. B.Ed. Course)

I. PREAMBLE

1. The four year integrated programme aims at integrating general studies comprising science also known as '**Bachelor of Science and Bachelor of Education**' (B.Sc. B.Ed.), and professional studies comprising foundation of education, pedagogy of school subjects, and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice, and coherence and integration among the components of the programme, representing a wide knowledge base of a secondary school teacher. The programme aims at preparing teachers for Upper Primary and Secondary stage of education.
2. The programme contents related to Physics/ Chemistry/ Mathematics/ Botany/ Zoology offered in B.Sc.B.Ed. are equivalent to that of B.Sc (PCM/CBZ) of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. The programme contents related to education components in B.Sc.B.Ed. are equivalent to B.Ed. The Course contents of the professional education component are equivalent to that of B.Ed. of Pt. Ravishankar Shukla University and are in accordance with the norms and regulations for the B.Sc. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).
3. This degree B.Sc. B.Ed. is equivalent to B.Sc. and B.Ed. degrees of the Pt. Ravishankar Shukla University. Students who pass this programme are considered eligible to pursue Masters Degree.

II. ELIGIBILITY AND EQUIVALENCE FOR ADMISSION FOR B.Sc. B.Ed. COURSE.

12/01/24
15/12/24
15/12/24
15/12/24
15/12/24

1. Candidates seeking admission to the B.Sc. B.Ed. programme should have passed Senior Secondary/+2 examination with 50% marks in the aggregate.
2. The reservation and relaxation in the marks for SC/ST/OBC/PWD and other category shall be as per the rules of the state government/central government policies.
3. Norms and standards of four year integrated program leading to B.Sc. B.Ed. Degree shall be according to National Council for Teacher Education (NCTE) and ITEP guidelines and regulations.
4. Candidate will be eligible for admission to Mathematics (PCM) Group if candidate has qualified qualifying examination with Physics, Chemistry and Mathematics and for admission to Biology Group (CBZ) Group if candidate has qualified qualifying examination with Chemistry Botany and Zoology. Out of the total number of seats, 50% will be allotted to each group (50% PCM, 50%CBZ).
5. Out of the total number of seats available for each program, the reservation will be made as per the State Government/central government rule in force from time to time.

III. ADMISSION PROCEDURE

1. Admission will be through entrance examination conducted by competent agency.
2. At the time of admission in the programme, the student will need to indicate their selection of the subjects to be pursued for the discipline options and the accompanying pedagogy specializations for which they are applying, and those may be assigned on the basis of order of merit and availability of the seats.

IV. EXAMINATION PATTERN

1. Course Duration and attendance

- The B.Sc. B.Ed. Program shall be of four academic years or eight semester including school based experience and internship in teaching. Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the

[Handwritten signatures and dates at the bottom of the page]

15/2/24

15/2/24

15/2/24

15/2/24

15/2/24

15/2/24

15/2/24

program within a maximum period of six year from the date of admission to the program.

- In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty five) working days, excluding the period of admission but including the period of examinations.
- The working duration/period shall be of 40 hours per week.
- The minimum attendance of students-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for field based experience or school internship or teaching practice separately.

2. Change of Stream and Institutions.

Once chosen, change of stream and change in institution will not be permitted under any Circumstances during the program.

3. Maximum and Minimum Marks

- Candidate must obtained minimum 40% marks in each theory and practical.
- Candidate must obtained minimum 50% marks in each practical.
- Candidate must obtained 40% marks in theory and sessional.
- Candidate must obtained at least 50% marks in each sessional.
- If candidate failed in sessional marks he/she has to appear in internal examination again.

4. Promotion to next semester

- If a Candidate failed in any subject not more than two subjects will treated as ATKT.
- Candidate will be allowed to appear in ATKT examination 1+2 (one main and two ATKT exams).
- Nobody will escape from ATKT. It is mandatory to clear ATKT examination.
- Students who have been promoted to next semester shall avail the chance of clearing the backlog papers only in the next ATKT examination.

Babu
15/12/24

Mind
15/12/24

Singh
15/12/24

Singh

Mind
15/12/24

Singh

Singh
15/12/24

- A candidate must clear all the backlog papers (ATKT) before the commencement of 8th semester. If a candidate failed to clear all the ATKT papers will not be promoted to 8th semester.

5. Award of Division

1. Successful candidates will be awarded division on the basis of the aggregate marks of all the Core Courses, Pedagogy Courses and Courses on Developing Teacher Sensibilities as per the following
 - i. Division 60% or more
 - ii. Second Division 45% or more (but less than 60%)
 - iii. Third Division 36% or more (but less than 45%)

(NOTE: - Grade pattern will be applicable as suggested by NCTE.)

2. Changes in Statutes/ Ordinances/ Rules/ Regulations/ Syllabus and books may from time to time be made by amendment or remaking and a candidate shall, except in so far as the University determines otherwise, comply with any change that applies to semester she/he has not completed at the time of change.

Handwritten signature
15/12/24

Handwritten signature
15/12/24

Handwritten signature
15/12/24

Handwritten signature
15/12/24

Handwritten signature
15/12/24

Handwritten signature
15/12/24

ORDINANCE NO. -
For
Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.)
(B.Com. B.Ed. Course)

I. PREAMBLE

1. The four year integrated programme aims at integrating general studies comprising commerce, also known as '**Bachelor of Commerce and Bachelor of Education**' (B.Com. B.Ed.), and professional studies comprising foundation of education, pedagogy of school subjects, and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice, and coherence and integration among the components of the programme, representing a wide knowledge base of a secondary school teacher. The programme aims at preparing teachers for Upper Primary and Secondary stage of education.
2. The programme contents related to Accountancy/ Business Studies/ Economics/ Informatics (practice/mathematics) offered in B.Com. B.Ed. is equivalent to that of B.Com. of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. The program contents related to education components in B.Com. B.Ed. is equivalent to B.Ed. The course contents of the professional education component are equivalent to that of B.Ed. of Pt. Ravishankar Shukla University and are in accordance with the norms and regulations for the B.Com. B.Ed. Program prescribed by the NCTE (2014).
3. This degree B.Com. B.Ed. is equivalent to B.Com. Degree and B.Ed. Degree of the Pt. Ravishankar Shukla University. Students who pass this programme are considered eligible to pursue Masters Degree.

II. ELIGIBILITY AND EQUIVALENCE FOR ADMISSION FOR B.Com. B.Ed. COURSE.

1. Candidates seeking admission to the B.Com. B.Ed. programme should have passed Senior Secondary/+2 examination with 50% marks in the aggregate.

15/12/24

15/12/24

15/12/24

15/12/24

15/02/24

2. The reservation and relaxation in the marks for SC/ST/OBC/PWD and other category shall be as per the rules of the state government/central government policies.
3. Norms and standards of four year integrated program leading to B.Com..B.Ed. Degree shall be according to National Council for Teacher Education (NCTE) and ITEP guidelines and regulations.
4. Candidate will be eligible for admission to Commerce stream if candidate has qualified qualifying examination with Business Studies, Accountancy, Economics, Informatics practice / mathematics.
5. Out of the total number of seats available for each program, the reservation will be made as per the State Government/central government rule in force from time to time.

III. ADMISSION PROCEDURE

1. Admission will be through entrance examination conducted by competent agency.
2. At the time of admission in the programme, the student will need to indicate their selection of the subjects to be pursued for the discipline options and the accompanying pedagogy specializations for which they are applying, and those may be assigned on the basis of order of merit and availability of the seats.

IV. EXAMINATION PATTERN

1. Course Duration and attendance

- The B.Com., B.Ed. Program shall be of four academic years or eight semester including school based experience and internship in teaching. Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the program within a maximum period of six year from the date of admission to the program.
- In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty five) working days, excluding the period of admission but including the period of examinations.

H13/04
15/12/24

H13/04
15/12/24

Mishra
16/02/2024

Amendur
15/12/24

S. Sin
16/12/24

Agarwal

Chandras
15/02/24

- The working duration/period shall be of 40 hours per week.
- The minimum attendance of students-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for field based experience or school internship or teaching practice separately.

2. Change of Stream and Institutions.

Once chosen, change of stream and change in institution will not be permitted under any Circumstances during the program.

3. Maximum and Minimum Marks

- Candidate must obtained minimum 40% marks in each theory paper.
- Candidate must obtained at least 50% marks in each sessional.
- If candidate failed in sessional marks he/she has to appear in internal examination again.

4. Promotion to next semester

- If a Candidate failed in any subject not more than two subjects will treated as ATKT.
- Candidate will be allowed to appear in ATKT examination 1+2 (one main and two ATKT exams).
- Nobody will escape from ATKT. It is mandatory to clear ATKT examination.
- Students who have been promoted to next semester shall avail the chance of clearing the backlog papers only in the next ATKT examination.
- A candidate must clear all the backlog papers (ATKT) before the commencement of 8th semester. If a candidate failed to clear all the ATKT papers will not be promoted to 8th semester.

5. Award of Division

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15/02/24

[Handwritten signature]
15.02.2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15/2/24

[Handwritten signature]
15/2/24

1. Successful candidates will be awarded division on the basis of the aggregate marks of all the Core Courses, Pedagogy Courses and Courses on Developing Teacher Sensibilities as per the following
 - i. Division 60% or more
 - ii. Second Division 45% or more (but less than 60%)
 - iii. Third Division 36% or more (but less than 45%)

(NOTE: - Grade pattern will be applicable as suggested by NCTE.)

2. Changes in Statutes/ Ordinances/ Rules/ Regulations/ Syllabus and books may from time to time be made by amendment or remaking and a candidate shall, except in so far as the University determines otherwise, comply with any change that applies to semester she/he has not completed at the time of change

Widya
15/12/24

Pranav
15/12/24

Prayanshu

Shruti

Shruti
15/12/24

Minakshi
16/12/24

S.
16/12/24

अहमदाबाद / परिचय महीना समिति की छुट्टी
दिनांक 16-2-2024 को मध्यान्ह 12:30 बजे
संचालक महाविद्यालयीन परिषद के हस्त में
आयोजित बैठक का आयोजन -

उपस्थिति :-

- 1. डॉ. सनम लोधनपुर Minad
16.02.2024
- 2. डॉ. ना. स्व. ल. कु. Bh
16/2/24
- 3. डॉ. स्व. जे. डहरनाल
- 4. डॉ. सी. डी. डगात्रे Jude
16/2/24

बैठक में निम्नलिखित बिषयों पर चर्चा

- 1. अहमदाबाद, B.Sc. B.Ed. एवं B.Com. B.Ed. के छात्रों
आवृत्त मंडल द्वारा दिनांक 15-2-2024 को
अनुमोदित प्रश्नार्थकों पर विचारोपरान्त विचारणा
गया उल्लान्त प्रश्नार्थकों पर अनुमोदित प्रदान
किया गया।
- 2. प्री. जी. डे. लोमा इन प्रेशर इन्फार्मिंग के
राहकार, विनिश्चय, प्रो. डी. डी. ए. डे. लोमा
इन प्रेशर में मंडलगत सेंट्रल ए-टोरे कुल
सलाहकार के आहमदाबाद री. डी. डी. डी.
स्पोर्ट्स कौशल इन लोकल सेंट्रल अहमदाबाद
के आहमदाबाद एवं को. लोमा की मंडलगत
के समिति के संबंध में मंडल, वापस करते हुए

कार्य क्रम 1 का हार्दिक को अनुक्रम लिमिटा कर प्रस्तुत किया जाए

(3) 10.12.23 को काहार्दिक को आगामी वीक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उपसचिव, राजभवन, रायपुर के पत्रांक 4160/5390/2023/रास/इ-1, दिनांक 28-7-2023 अपर संचालक उन्हासेवा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 4160/1407/इसे/23 दिनांक 16-8-2023 एवं गेहमडा इलेक्ट्रिकल शॉप के पत्र क्रमांक 374 इलेक्ट्रिकल शॉप, दिनांक 7/9/2024 के साथ संलग्न प्रपत्र - दो को आगामी काजीवारी हेतु मानुश्या को पाली है। संलग्न माहार्दिक को अनुक्रम लिमिटा किया जाय।

(5) कार्य 1 का अनुक्रम के प्रस्तावित काहार्दिक को प्रतीक में लिमिटा कर आगामी वीक में प्रस्तुत किया जाए।

Miad
16.02.2024

Rohit
16/2/24

[Signature]
16/2/24

Sigruy

का

सेवा

न

न

न

Pt Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

Proposed Ordinance No. 178 (Revised)

M.Tech. In Optoelectronics & Laser Technology

1. This ordinance comes into force with immediate effect.
2. The Post Graduate interdisciplinary course in Technology between S.o.S in Electronics & Photonics and S.O.S.in Physics & Astrophysics under the Faculty of Science leading to the Degree of Masters of Technology in Optoelectronics and Laser Technology of the Pt Ravishankar Shukla University shall be divided into four semesters. Each semester would be approximately of six months duration including vacation / preparatory leave / examination / industrial training etc.
3. The Degree of Master of Technology in Optoelectronics and Laser Technology shall be abbreviated as M.Tech in Optoelectronics & Laser Technology.
4. The medium of instruction and examination shall be English.
5. **Total Seats:** The total number of seats shall not exceed Twenty-two (Two for sponsored candidates). Reservation of seats shall be as per university rules.
6. **ELIGIBILITY CONDITIONS:** Candidates satisfying the following criteria will be considered eligible for admission to the first semester of M. Tech in Optoelectronics and Laser Technology and may be called for interview for final selection:

A person will be eligible for admission if he/she holds Master's Degree in Physics / Electronics / Photonics / Material Science / Applied Physics / Nanotechnology or Allied Subject or B.Sc. Engineering/ B.Tech / BE Degree in Electronics Engineering / Electronics & Telecommunication Engineering / Electronics & Communication Engineering / Electronics & Instrumentation Engineering / Electrical Engineering / Electrical and Electronics or Telecom Engineering / Instrumentation / IT / Computer Science Engineering from any recognized University or institution with least 55% marks and valid Gate Score.

OR

A candidate who has passed A and B section of Institution of Engineers (India) Calcutta examination or I.E.T.E. Graduate examination conducted by the Institution of Electronics & Telecommunication Engineers, New Delhi with at least 50% marks after having passed the Diploma examination with a valid GATE score may be admitted to M. Tech Programme of the University.

Relaxation of 5% from 55% to 50% of the marks in the eligibility criteria may be permitted to SC/ST candidates., (C.G. 18.6.90 notified. 10022/--/94 - 95, 16.02.05)

- I. If seats remain vacant due to non-availability of GATE qualified candidates, the same will be filled up from the candidates possessing qualification as indicated above on the basis of the entrance test to be conducted by the University.

II. No candidate will be admitted, if GATE Percentile is lower than the following minimum prescribed:

For General Category Candidates: 75 percentile

For SC/ST/PH candidates: 50 percentile

7. (a) There shall be an M.Tech committee constituted by Vice Chancellor comprising of teachers of the **S.O.S in Electronics & Photonics and S.O.S.in Physics & Astrophysics** as may be associated with the course /research programs. An external expert may also co-opt to this committee at the discretion of the Vice Chancellor. The head of the Department of nodal department shall be the Chairman of the committee.

(b) The M.Tech. Committee shall perform the following functions-

- i. To recommend the name of the students for admission to the M.Tech course.
- ii. To draw the syllabus for the M. Tech course for the consideration of the board of studies of the Department of Physics and Electronics.
- iii. To recommend name of supervisor of M.Tech candidates and to assign topic for project/Dissertation work
- iv. To Plan and Organize seminars, group discussion etc.
- v. To propose name of internal examiner for evaluation of seminars.
- vi. To propose a panel of three examiners for each course/ Dissertation for the consideration of the Examination Committee.
- vii. Any other function assigned to it by the Vice Chancellor.

8. Examinations:

8.1 The Master of Technology degree shall be awarded to those candidates who have obtained at least 36% marks in cumulative aggregate in theory and practical courses separately and a minimum of 20% qualifying marks in each theory course in Semester I and II and a minimum of 50 % qualifying marks in each Project in Semester III & IV.

8.2 Candidates failing to appear or securing less than 36% aggregate or obtaining less than 20% marks in any of the theory course of semester examinations shall be allowed to pursue the courses for the next following semester and to appear at the examination in the course for that semester and any course of the previous semester, which he/she has not cleared. Failure in all the four papers, shall have to re-appear in the same papers. A.T.K.T. provision shall be in three papers of one semester & maximum three attempts only i.e. (1 main + 2 A.T.K.T.). Failure to secure 36% aggregate or to obtain qualifying marks of 20% in each course in two successive semester examinations, in addition to main examination for Semester I & II, shall if so facto disqualify a candidate for admission to the next higher semester or for re-examination.

8.3 A student can appear any theory paper only thrice i.e., once in the original attempt and twice in a repeat attempt.

8.4 The project can be carried out either completely in the Department or in collaboration with some Industry or an R&D Organization. In the later case, collaboration is to be

established by the Individual. Comprehensive Viva Voce will be held at the end of the fourth semester in the last week of July. A candidate, who fails in the Semester IV Examination, will be required to repeat the dissertation. However, he/she may be allowed to complete it in next six months. Such a candidate will be examined in January of next year. There will be no scope for improvement or revaluation. If the candidates fail to submit dissertation within the prescribed date, he/she will be allowed to submit dissertation in next six months.

No candidate shall be permitted to carry out a dissertation (Phase-II) preferably in an industry or a professional R & D organization and to submit thesis unless he/she has passed all the preceding semester.

8.5 USE OF CALCULATORS: The students of M.Tech. classes will be permitted to use non programmable scientific calculators in the Examination Hall.

A candidate of the M.Tech degree shall not be permitted to join any other course of study or to appear at any other examination conducted by a university or any other agency, except a language diploma certificate course run by the University.






9. Division shall be awarded in the Final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the semester examinations in the following manner-
- First Division with Distinction -75% and above
 - First Division - 60% and above
 - Second Division - Below 60%

Provided the candidate has secured the minimum pass marks as specified in this ordinance.

10. The Vice Chancellor shall award one grace marks to the candidate who is either failing or missing the division by one mark. However, it will not be added anywhere.
11. In order to ensure uniformity of standards, the M.Tech , committee, when performing their function under para 7(b) (ii) may liaison with such committees in other Universities, so that the topics and standards of course prescribed under para 7(a) are not very dissimilar especially where the same specialization have been selected by two or more Universities.
12. The Executive Council shall be the competent authority to decide the matters not covered in this ordinance.

प्रबंधन अध्ययन मंडल की सुचना, दिनांक 15/2/20
की मध्याह्न 12.00 बजे अध्यक्ष. अध्यक्षतावाला
उ लुका में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-

- (1) डॉ० रं० के० श्रीवास्तव - 
- (2) डॉ० जी० के० देशमुख - 
- (3) डॉ० संस्कृति जोशी - 
- (4) डॉ० सुशील कुमार इंदुरकर - 
- (5) श्रीमती पूजा नारायण - 

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

- (1) पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
- (2) छात्रों के शोपन एवं छात्रहित को ध्यान में रख
हुए वि० वि० के छठम पाठ्यक्रम का अध्यापन
क्रमांक - 92 की विद्यु क्रमांक - 14 पर विचार कि
गया एवं उरुरासा का वाइ कि छात्र छात्रों
चतुर्थ सेम० सटीकरी का परीक्षा 6वें सेम० के

सथ ही होता है और 6th सेमो का परीक्षा आवेदन
वा शर पाठ का स्थिति में बाव / धावा का
1 वष खराब हो जाता है।

अतः जब/दवा को 4th सेमो ~~आइए~~
की परीक्षा के एक सत्र के एक 6th सेमो का
परीक्षा पाठ शर को अकुवाले प्रदान की जाए
और 6th सेमो का परीक्षा परिणाम तभी घोषित
किया जाए जब वह 4th सेमो ~~आइए~~ का परीक्षा
करीव कर ले।

(3) मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (द्वि वषीय)
पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2024-25 से पारमकिए
जाते है 3 पाठ्यक्रम को अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित
प्रति संव प्रस्तुत किया जा रहा है।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

(विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024)

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग की सीधी भर्ती तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन से संबंधित बिन्दुओं के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन तथा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विचारार्थ प्रस्तुत है -

1. विश्वविद्यालय ग्रंथपाल के विभिन्न लेवल पर प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र विचारार्थ संलग्न है।
2. अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन प्रपत्र में आंशिक परिवर्तन करते हुये यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र विचारार्थ संलग्न है।
3. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत एशोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदों पर प्रमोशन में चयन समिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित अंक विभाजन संलग्न है।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन-2018 (Appendix II, Table 2) में Matter Related to Research Score (रिसर्च स्कोर) Augmentation के लिए निर्णय लेने हेतु।

UGC Regulation 2018 में Research Score Augmentation हेतु निम्न प्रावधान वर्णित है-

The Research score for research papers would be augmented as follows:

Peer-Reviewed or UGC-listed Journals [Impact factor to be determined as per Thomson Reuters (Clarivate Analytics) list]

- | | | |
|---|---|------------|
| i. Paper in refereed journals without impact factor | - | 05 Points |
| ii. Paper with impact factor less than 1 | - | 10 Points |
| iii. Paper with impact factor between 1 and 2 | - | 15 Points |
| iv. Paper with impact factor between 2 and 5 | - | 20 Points |
| v. Paper with impact factor between 5 and 10 | - | 25 Points |
| vi. Paper with impact factor >10 | - | 30 Points. |

उक्त प्रावधान की कंडिका (i) के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि

- (a) Thomson Reuters लिस्ट में शामिल तथा बिना Impact Factor वाले Journals के लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है, अथवा
- (b) कोई भी Refereed Journals जिसका Impact Factor नहीं है उसके लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है।

(a) अथवा (b) को मान्य किए जाने के लिए निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत।

5. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड-49 के उपखण्ड 2(ii)
(ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Kulapati out of the panel approved by the Academic Council of the University
के अंतर्गत चयन समिति हेतु एकेडमिक काउंसिल से विषय विशेषज्ञों का पेनल अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के कंडिका

6.0 SELECTION PROCEDURE:

IV. The process of selection of a Professor shall involve the inviting of the application developed by the respective university, based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in these Regulations in Appendix II, Table 1 and 2 and reprints of all significant publications of the candidates.

Provided that the publications submitted by the candidate shall have been published during the qualifying period.

Provided further that such publications shall be made available to the subject experts for assessment before holding the interview. The evaluation of the publications by the experts shall be taken into consideration while finalizing the outcome of selection.

के दृष्टिगत प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन तथा सीधी भर्ती दोनों में साक्षात्कार के पहले विशेषज्ञ से अभ्यर्थी के प्रकाशन का मूल्यांकन कराये जाने पर तथा मूल्यांकन रिपोर्ट साक्षात्कार के पूर्व चयन समिति को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।